उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या –06–अ0प्र0–07 / पाकालि / 16–05–अ0प्र0–07 / 15 दिनांक 07.01.2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (जानपद) को **40% प्रोन्नति कोटा** के अन्तर्गत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0–485–ए–आर / राविपि–01–28–एआर / 89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :–

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम / पिता का नाम गृह जनपद / जन्मतिथि / वर्ग / वरि0क्र0	अवर अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित निगम / इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री राज कपूर श्रीवास्तव / श्री आर0एस0एल0 श्रीवास्तव सुल्तानपुर / 06.05.63 / सामान्य / 418	वि0जा0वि0खं0, इलाहाबाद	पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0	201517

2. **"यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0–60876 / 2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"**
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :–

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

(ग) अवर अभियन्ता के विरूद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो उनके नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के भीतर नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लें। दिनांक 30.06.2016 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नही हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें तथा एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
5. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0–79 / 1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

6. आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
7. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
8. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का 'क्षेत्र (जोन)', वर्तमान में कार्यरत 'क्षेत्र (जोन)' से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–06–अ0प्र0–07/पाकालि/2016/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण/वित्त/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा/केस्को कानपुर।
7. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायें।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2), उ0प्र0पा0का0लि0।
10. उप सचिव (अ0प्र0–03/04) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. संबंधित प्रोन्नत अधिकारी ।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव